न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 04/2023
रजि. संख्या : 2023/39

प्रार्थीपक्ष :–

श्री धनपाल पिता श्री मांगीलाल उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ, भाग प्रथम, तहसील आंबापुरा, बांसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा
जिला रसद अधिकारी,
बॉसवाडा

उपस्थित

श्री भगवत पुरी (अधिवक्ता अपीलार्थी)

विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–06–2022, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 02/2022

निर्णय

दिनांक :– 20–07–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत देवगढ भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल पिता मांगीलाल के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच कर प्रवर्तन निरीक्षक गढी द्वारा दिनांक 04.01.2022 को जाँच रिपोंट प्रस्तुत की गई। जाँच अनुसार अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओ को कम राशन सामग्री देकर गेहुं का गबन करना पाया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रकरण 02/2022 दर्ज कर अपीलार्थी को दिनांक 10.01.2022 को निलंबित कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.01.2022 को नोटिस का जवाव प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के पश्चात् दिनांक 13.06.2022 को श्री धनपाल पिता मांगीलाल उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग प्रथम तहसील आंबापुरा का प्राधिकार पत्र सं. 1593/2018 को निरस्त कर संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करने निर्णय पारित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथीत व असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 30.06.2023 को रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि रेस्पोडेट द्वारा जवाब में उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत देवगढ भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल पिता मांगीलाल के विरुद्ध राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर "राशन का गेहुँ वितरण पर उठने लगे सवाल" एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा श्री लालशंकर डामोर बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक गढी श्री विनोद कुमार पाटीदार एवं प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत द्वारा शिकायत के संबंध में जाँच की गई। जाँच के दौरान उपस्थित 23 उपभोक्ताओ ने बताया कि डीलर धनपाल ने माह दिसंबर 2021 में उन्हे केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ही गेहुँ उपलब्ध करवाया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहुँ उपलब्ध नही करवाया। जबकि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन चेक करने पर दोनो योजनाओ का ट्रांजेक्शन किया गया। डीलर ने उपभोक्ताओ को मात्र एनएफएसए का गेहुँ वितरित किया, जबकि ट्रांजेक्शन एनएफएसए के साथ ही पीएमजीकेएवाय का भी दर्शाया। इस प्रकार डीलर ने माह नवंबर 2021 पेटे आवंटित एवं माह दिसंबर 2021 में वितरित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 111.13 क्वि. गेहुँ का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। साथ ही उसके गोदाम का भौतिक सत्यापन के दौरान 9.08 क्वि. गेहूँ कम पाया गया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की [illegible] संख्या 2,5,11 एवं 17सी का उल्लंघन पाये जाने पर उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक ...01.2022 को उसका प्राधिकार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निलम्बित किया गया। डीलर को दिनांक 12.01.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब उसके द्वारा दिनांक 24.01.2022 को दिया गया। जवाब में उपभोक्ताओ को माह दिसम्बर 2021 मे दोनो योजनाओ का ट्रांजेक्शन दर्शाकर एक ही योजना में गेहूँ देने व 111.13 क्विं. गेहूँ का गबन एवं दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। डीलर के उक्त कृत्य की गंभीरता को देखते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दिनांक 27.01.2022 को पुलिस थाना आंबापुरा में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मुकदमे में सुनवाई की जाकर दिनांक 13.06.2022 को उसका प्राधिकार पत्र सं.1593/2018 को निरस्त किया गया। इस प्रकार मुकदमे में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2022 विधिपूर्वक ढंग से तथ्यो के आधार पर पारित किया गया है। अतः धनपाल/ मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

दिनांक 14.07.2023 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 13.06.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 26.04.2023 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार दस माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.06.2022 की जानकारी नही थी जानकारी होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने कर निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर एक माह की अवधि में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में देरी का कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं न्याय संगत होकर क्षम्य किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर [illegible] की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण [illegible] आधार पर होना चाहिये। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस में अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी ने ग्राम पंचायत देवगढ भाग प्रथम के डीलर अपीलार्थी श्री धनपाल/ मांगीलाल द्वारा अपनी पोस मशीन से गांव देवगढ भाग प्रथम के उपभोक्ताओ को 111.13 क्विं. गेहूँ आवंटन कर गबन करना बताया है जो पूर्णतया मिथ्या, मनघडन्त व निराधार है। अपीलार्थी डीलर धनपाल/ मांगीलाल द्वारा किसी प्रकार के गेहूँ का गबन नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पोस मशिन उपयोग में आने के पश्चात् कई उपभोक्तओ को राशन कार्ड के अभाव में भी राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए राजनैतिक प्रभाव में राशन कार्डो के अन्दर मिथ्या प्रविष्ठियाँ की गई है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राशन सामग्री का गबन नही किया है। यदि कोई भूल अपीलार्थी से हुई है तो वह भूल भी दुर्भावना के उद्देश्य से नही हुई है।

अपीलार्थी को अपनी पैरवी का समूचित अवसर दिये बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट का भी सत्यापन नही हुआ है। अपीलार्थी को प्रवर्तन निरीक्षक व शिकायतकर्ता उपभोक्ताओ से जिरह का अवसर भी नही दिया गया है। अपीलार्थी को उसके सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.01.2022 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया है। जबकि कोविड 19 कोरोना वैश्विक महामारी राष्ट्र में व्याप्त थी। उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा हर जरुरतमंद को भोजन हेतु राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये थे तथा उपभोक्ताओ [illegible]कर राशन वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। उस दौरान [illegible] की बाध्यता से भी छुट प्रदान की थी। इस कारण कुछ उपभोक्ताओ के [illegible] नही होना अनियमितता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्रेणी में नही आता है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अलग अलग उपभोक्ताओ के बयान साईक्लोस्टाईल रुप में लिये गये है, जॉच रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है।

प्रत्यर्थी द्वारा पुलिस थाना आंबापुरा में एफआईआर नं. 21/22 दर्ज कराई। अनुसंधान के पश्चात् मामला अदम वाकुवा तथ्य की भूल में एफआर पेश की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा का निर्णय दिनांक 13.06.2022 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 1593/2018 को पुनः बहाल किया जाकर प्रतिभूति राशि वापस दिलाये जाने आदेश फरमावे।

रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत देवगढ भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल पिता मांगीलाल के विरुद्ध राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर “राशन का गेहुँ वितरण पर उठने लगे सवाल” एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा श्री लालशंकर डामोर वहमराह प्रवर्तन निरीक्षक गढी श्री विनोद कुमार पाटीदार एवं प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत द्वारा शिकायत के संबंध में जॉच की गई। जॉच के दौरान उपस्थित 23 उपभोक्ताओ ने बताया कि डीलर धनपाल ने माह दिसंबर 2021 में उन्हे केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ही गेहुँ उपलब्ध करवाया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहुँ उपलब्ध नही करवाया। जबकि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन चेक करने पर दोनो योजनाओ का ट्रांजेक्शन किया गया। डीलर ने उपभोक्ताओ को मात्र एनएफएसए का गेहुँ वितरित किया, जबकि ट्रांजेक्शन एनएफएसए के साथ ही पीएमजीकेएवाय का भी दर्शाया। इस प्रकार डीलर ने माह नवंबर 2021 पेटे आवंटित एवं माह दिसंबर 2021 में वितरित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 111.13 क्वि. गेहुँ का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। साथ ही उसके गोदाम का भौतिक सत्यापन के दौरान 9.08 क्वि. गेहूँ कम पाया गया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2,5,11 एवं 17सी का उल्लंघन पाये जाने पर उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 10 01.2022 को उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर को दिनांक 12.01.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका जवाब उसके द्वारा दिनांक 24.01.2022 को दिया गया। जवाब में उपभोक्ताओ को माह दिसम्बर 2021 मे दोनो योजनाओ का ट्रांजेक्शन दर्शाकर एक ही योजना में गेहूँ देने व 111.13 क्विं. गेहूँ का गबन एवं दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। डीलर के उक्त कृत्य की गंभीरता को देखते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दिनांक 27.01.2022 को पुलिस थाना आंबापुरा में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से वक्त बहस एफआर सं. 14/ 20.09.2022 की प्रति पेश की है। जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के पश्चात् मामला अदम वाकुवा तथ्य की भूल में एफआर पेश की है। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की जाकर दिनांक 13.06.2022 को उसका प्राधिकार पत्र सं. 1593/2018 को निरस्त किया गया। इस प्रकार मुकदमे में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2022 विधिपूर्वक ढंग से तथ्यो के आधार पर पारित किया गया है। अतः धनपाल/ मांगीलाल द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत देवगढ भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल पिता मांगीलाल के विरुद्ध राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर "राशन का गेहुँ वितरण पर उठने लगे सवाल" एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में सयुक्त जाँच दल प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा श्री लालशंकर डामोर, प्रवर्तन निरीक्षक गढी श्री विनोद कुमार पाटीदार एवं प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत द्वारा शिकायत के संबंध में जाँच दिनांक 04.01.2022 को की गई। प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा द्वारा जाँच रिपोर्ट दिनांक 10.01.2022 को जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रसद अधिकारी बांसवाडा को प्रस्तुत की। जिसमें 111.13 क्वि. गेहुँ का गबन एवं दुरुपयोग किया पाये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 02/2022 दर्ज कर प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक निलम्बित किया गया एवं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया है एवं विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर प्राधिकार–पत्र निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दिनांक 27.01.2022 को पुलिस थाना आंबापुरा में एफआईआर सं.21 दिनांक 27.01.2022 दर्ज करवाई गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से वक्त बहस एफआर सं. 14/ 20.09.2022 की प्रति पेश की है। जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के पश्चात् मामला अदम वाकुवा तथ्य की भूल होने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक इसे स्वीकृत नही किया है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत् जारी प्राधिकार पत्र की प्राधिकार की शर्त संख्या 2, 5, 11, 17सी का उल्लंघन होने से अनुज्ञा–पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–06–2022 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–06–2022 को यथावत् रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner